

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2368 /15-1
सेवा में,

दिनांक, झांसी, दिसम्बर 26 2022

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्दलेखण्ड वृत्त, उ०प्र०, झांसी ।

विषय:- जनपद झांसी में अदानी टोटल गैस लि०, झांसी द्वारा 200 MM Dia कार्बन स्टील पाइप लाइन बिछाने हेतु झांसी-शिवपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 27 के किमी० सं० 86 से 93.500 (कुल 7.500 किमी०) तक बांयी पटरी पर प्रभावित 0.225 हे० संरक्षित वनभूमि एवं झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 44 के किमी० सं० 6.50 से 18.200 (कुल 11.700 किमी०) तक प्रभावित 0.351 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि तथा सिजवाहा वन ब्लॉक में प्रभावित 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल प्रभावित 0.636 हे० वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु।

संदर्भ:- अनु० सचिव, उ०प्र० शासन का पत्रांक पी-340/81-2-2022-800(339), दिनांक 28.10.2022 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-1508/11सी/FP/UP/Pipeline/143751/2021, दिनांक 28.10.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा 08 बिन्दुओं की आपत्तियां दर्शायी गयी है। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति पत्रावली सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्तियों का निराकरण/अभिलेख संस्तुति सहित 03 प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें, आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :-


क्र०सं०	प्रस्ताव की कमियां	निराकरण
1	प्रस्ताव में अथराईजेशन प्रमाण पत्र में वैधता में ओवरराइटिंग कर संशोधित किन परिस्थितियों में किया गया है ।	प्रस्ताव में अथराईजेशन प्रमाण पत्र में वैधता की बिना ओवरराइटिंग प्रति संलग्न है ।
2	प्रस्ताव में पार्ट-1 में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.636 अंकित है जबकि पार्ट-2 में 0.66704 है० अंकित है।	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल 0.636 हे० है, जिसे पार्ट-2 में संशोधित कर दिया गया है ।
3	प्रस्ताव में 0.06 हे० आरक्षित वनभूमि है, तो पार्ट-2 में भूमि की वैधानिक स्थिति संरक्षित वनभूमि ही क्यों अंकित है	प्रस्ताव में 0.06 हे० आरक्षित तथा 0.576 हे० संरक्षित वनभूमि है, जिसे पार्ट-2 में भूमि की वैधानिक स्थिति में संशोधित कर संरक्षित तथा आरक्षित वनभूमि कर दिया गया है प्रति संलग्न है ।
4	पृष्ठ-22 पर रक्षित लाइसेंस में पावर ऑफ एटार्नी की वैधता अवधि 31.03.2022 अंकित किया गया है जो कि समाप्त हो चुकी है	पृष्ठ-22 पर रक्षित लाइसेंस में पावर ऑफ एटार्नी की वैधता अवधि 31.03.2022 अंकित किया गया है जो कि समाप्त हो चुकी है, जिसके उपरान्त एजेंसी नये ऑथराइज्ड


		पर्सन का औथोरिजेशन पत्र पुनः संलग्न किया गया है (प्रति संलग्न है)
5	पृष्ठ-27/33 पर रक्षित लाइसेंस में कार्यदायी कम्पनी एवं लाइसेंस प्रमाण पत्र मोहर एवं टाईटिल में विसंगिति है ।	पृष्ठ-27/33 पर रक्षित लाइसेंस में कार्यदायी कम्पनी एवं लाइसेंस प्रमाण पत्र मोहर एवं टाईटिल में विसंगिति है क्योंकि पहले कम्पनी का नाम अदानी गैस लिमिटेड था तथा बाद में नाम बदल कर अदानी टोटल गैस लिमिटेड कर दिया गया, जिसे Government of India (Ministry of Corporate affairs) स्वीकृति दी गयी है (प्रति संलग्न है) ।
6	पृष्ठ-46 पर अंकित है कि पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे० आरक्षित वनभूमि जिसका भू-स्वामित्व एन०एच० है। 0.060 हे० का भू-स्वामित्व किसका है स्थिति स्पष्ट की जाय ।	पृष्ठ-46 पर अंकित है कि पाइप लाइन के बिछाये जाने में 0.576 हे० आरक्षित वनभूमि जिसका भू-स्वामित्व एन०एच० है। 0.060 हे० का भू-स्वामित्व भी एन०एच० का ही है (प्रति संलग्न है) ।
7	पृष्ठ-67 पर रक्षित एन०एच०ए०आई० का भू-स्वामित्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक 03.01.2021 है जो समाप्त हो चुकी है। नवीन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय ।	पृष्ठ-67 पर रक्षित एन०एच०ए०आई० का भू-स्वामित्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक 03.01.2021 है जो कि एन०एच०ए०आई० का भू-स्वामित्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि नहीं है तथा वह एक बैंक गारण्टी है जो कि एन०एच० को काम करने के दौरान या कार्य करने से पहले दी जाती है (प्रति संलग्न है) ।
8	पृष्ठ-72 पर रक्षित लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की वचनवद्धता उपलब्ध करायी जाय ।	पृष्ठ-72 पर रक्षित लीज अवधि प्रमाण पत्र में 99 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष की वचनवद्धता उपलब्ध करा दी गयी है प्रति संलग्न है।

संलग्नक :- प्रस्ताव की 04 प्रतियाँ मूल में ।

पृष्ठांकन संख्या 2360 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

 (एम०पी० गौतम)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 झांसी वन प्रभाग, झांसी


 (एम०पी० गौतम)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 झांसी वन प्रभाग, झांसी